लक्ष्मीदेवी एवं अन्य

बनाम

मोहम्मद तब्बर एवं अन्य

(2008 की दीवानी याचिका सं. 2090)

मार्च 25, 2008

[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, जेजे.]

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988- मोटर दुर्घटना मृत्यु, 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मुआवजे का दावा, दावेदार उनकी पत्नी और 4 नाबालिग बेटीयां थी। दावा न्यायाधिकरण ने रूपये की काल्पनिक के आधार पर मुआवजा दिया। 15000/- रूपये 16 के गुणक का उपयोग करते हुऐ मुआवजे में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की दर- उच्च न्यायालय ने काल्पनिक आय को बढाकर 36000/- गुणक को घटाकर 12 अभिनिर्धारित कर दिया गया। अपील में कहा गया मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुऐ उच्च न्यायालय ने गुणक को कम करना सही नहीं कहा। हांलाकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काल्पनिक आय में वृद्वि हुई थी और ब्याज की दर केवल 6 प्रतिशत थी, 14 का गुणक उचित होगा।

35 वर्षीय 'आर' की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बेटियों (अपीलकर्ताओ) ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की। उन्होने मृतक की कमाई 4200/- रूपये प्रतिमाह होने का दावा किया, न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आंकलन काल्पनिक आय के आधार पर किया। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 163ए के तहत दूसरी अनुसूची में 15000/- रूपये निर्धारित है।

मुआवना राशि निकालने में 16 का गुणक का उपयोग किया गया था। मुआवजे पर ब्याज 6 प्रतिशन प्रतिवर्ष निर्धारित किा गया था। अपील में उच्च न्यायालय ने अनुमानित आय को बढाकर 36000/- रूपये किया लेकिन गुणक को घटाकर 12 कर दिया। ब्याजदर की पुष्टि की गई। इसलिये दावेदारों द्वारा वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिधार्रित किया :

उच्च न्यायालय ने इसे नीचे लाने में गलती की है। 12 से गुणक, वर्तमान मामले में मृतक 35 वर्ष का था, दावेदार उसकी पत्नी और चार नाबालिग बेटियां है। दूसरी अनुसूची के अनुसार भी 35 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के मामले में गुणक 16 है। वर्तमान मामले में 2004 में प्रचलित सामान्य ब्याजदर पर विचार करते हुऐ दी गई ब्याज दर केवल 6 प्रतिशत है। इसलिये उचित गुणक 14 होगा। अनुमानित आय का मूल्य बढा दिया गया है। [पैरा 7] [441-बी, सी और डी]

टी.एन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजप्रिया **2005 (6) एससीसी 236,** जी.एम केरल एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थॉमस **1994 (2) एससीसी 1760**, यूपी एसआरटीसी बनाम त्रिलोक चंद्रा **1996 (4) एससीसी 382**, डेविस बनाम पावेल डफ्रिन एसोसिऐटेड कोलियरीज लिमिटेड **1942 (1) सभी ईआर 657 (एचएल)**, नेंस बनाम ब्रिटिश फोलबिया इलेक्ट्रिक रेल्वे कम्पनी लिमिटेड **1951 (2) सभी ईआर 448** संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2090/2008।

उतरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल के 2006 ए.ओ. नम्बर 154, में पारित अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 31.08.2006।

यूनुस मलिक, अभिषेक विकास, रानी किशोर और प्रशांत चौधरी - अपीलार्थी।

अजय मजीठिया, राजेश कुमार और डा. कैलाशचंद – उत्तरदाता। न्यायालय का निर्णय **वी.एस. सिरपुरकर जे**. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील एक राजेन्द्रसिंह की विधवा और पांच बच्चो द्वारा दायर की गई हैं। जिनकी 12.04.2004 को एक दुर्धटना में मृत्यु हो गई थी, जब वह अपनी साईकिल पर सवार थे और पंजीकरण संख्या यूए'04-1486 उक केंटर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, राजेन्द्रसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर वाहन चालक को मौके पर ही पकड लिया गया। इसलिये दावेदारों ने मोटर दुर्धटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष इस आधार पर दावा दायर किया कि राजेन्द्रसिंह कमाते थे। वह 140/- रूपये प्रतिदिन और 4200/- रूपये प्रतिमाह कमाते थे और दुर्घटना के समय उनकी उम्र वमुश्किल 35 वर्ष थी। दावे के समर्थन में मृतक की पत्नी लक्ष्मीदेवी सहित तीन गवाहों से पूछतांछ की गई और सबूतों के आधार पर न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक राजेन्द्रसिंह की मृत्यु 12.04.04 को हुई दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। यह घटना आरोपी वाहन की तेजगति और लापरवाही से गाडी चलाने के कारण हुई। जहां तक आय का संबध है न्यायाधिकरण ने इसका आंकलन मोटरवाहन अधिनियम की धारा 163 ए के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुमानित आय के आधार पर 15000/- रूपये प्रति वर्ष माना। उक्त राशि का 1/3 हिस्सा मृतक के व्यक्तिगत व्यय के रूप में काटने के बाद दावेदारों की निर्भरता 10,000/- प्रतिमाह आंकी गई और वार्षिक निर्भरता को रूपये से गुणा किया गया। 10,000/- रूपये को 16 के गुणक के साथ मुआवजा 1,60,000/- रूपये निकाला गया। अन्य दावों में अन्तिम संस्कार के खर्च के लि 2000/-रूपये, विधवा को कंसोर्टियम के नुकसान के लिये 5000/- रूपये, और सम्पत्ति के नुकसान के लिये 2000/- रूपये दिये गये। इस प्रकार दावेदारों को मुआवजे के रूप में कुल

1,69,000/- रूपये की राशि प्रदान की गई। न्यायाधिकरण ने मुआवजे की राशि पर दावा याचिका की तारीख से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

3. दावेदारों के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई। हालांकि बीमा कम्पनी या वाहन के मालिक के द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि प्रति वर्ष 15,000/- रूपये की अनुमानित आय पर पहुंचने का कोई आधार नहीं था और वास्तव में आय उससे कहीं अधिक थी। जिसके लिये लक्ष्मीदेवी की साक्ष्य को आधार माना गया। इसलिये अपील मे बढे हुऐ मुआवजे का दावा किया गया था। इसके विपरीत यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण के 16 के उच्च गुणक को लागू करने में गलती की थी। इस न्यायालय के एक कथित निर्णय **टी.एन स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजापुरिया एवं [(2005)6 एससीसी 236]** पर भरोसा किया।

4. उच्च न्यायालय ने मौत की लापरवाही के संबध में पहले के निष्कर्षो की पुष्टि की। हालांकि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि 4200/- रूपये की आय का दावा किया गया है विश्वसनीय नहीं था, अनुमानित आय 36,000/- रूपये प्रति वर्ष होनी चाहिये थी, यानि 3000/- रूपये प्रतिमाह। इस प्रस्ताव के लिये उच्च न्यायालय ने माना कि दूसरी अनुसूची में रूपये 15,000/- रूपये की अनुमानित आय वर्ष 1994 में निर्धारित की गई थी, जबकि दुर्घटना वर्ष 2004 में हुई थी, उच्च न्यायालय द्वारा दियाा गया दूसरा कारण यह था कि एक अकुशल श्रमिक, इन दिनों आसानी से रूपये कमा सकता है। प्रतिदिन 100/-रूपये और प्रति माह 3000/- रूपये और इसलिये उच्च न्यायालय ने आ को 36000/- रूपये प्रतिवर्ष माना और मृतक की आय का 1/3 उसके व्यक्तिगत खर्चो के लिये काट दिया, दावेदारों ने निर्भरता का आंकलन 24000/-

रूपये प्रति वर्ष किया गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा लागू 16 के गुणक को घटाकर 12 कर दिया। इस कार्यवाही के लिये उच्च न्यायालय ने **टी.एन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन** के उपरोक्त निर्णय पर भरोसा किया। परिवहन निगम का मामला इस प्रकार उच्च न्यायालय ने 16 के बजाय 12 के गुणक को लागू किया और अंतत उच्च न्यायालय ने 2,88,000/- रूपये के आंकडे पर पहुंचा और इसमें अन्तिम संस्कार के खर्च के लिये कंसोर्टियम की हानि और मृत्यु के कारण अन्य मुआवजा शामिल था, संपत्ति जो न्यायाधिकरण द्वारा दी गई थी जोडी गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा 2,97,000/- रूपये का कुल मुआवजा दिया गया। इस निष्कर्ष से असंतुष्ट दावेदारों ने हमारे समक्ष यह अपील दायर की है।

5. दावेदारों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने 12 के गुणक को लागू करने में गलती की, खासकर जब मृतक केवल 35 वर्ष का था और कोई भी दावेदार उस उम्र से अधिक का नहीं था। विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि मृतक अपने पीछे एक युवा पत्नी सहित चार नाबालिग बेटियां को छोड गया है। यह आग्रह किया गया था कि इस तथ्य पर विचार करते हुऐ कि केवल 6 प्रतिशत ब्याज दिया गया था, 12 का गुणक उचित गुणक नहीं था और न्यायाधिकरण द्वारा पाया गया गुणक बरकरार रखा जाना चाहिये था। इसके विपरीत बीमा कम्पनी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया और दावा किया कि वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, मुआवजा उच्च स्तर पर था।

6. हमने तर्को के साथ साथ **टी.एन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन** में निर्धारित कानून पर भी विचार किया है। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में **जी.एम केरल एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थामस (1994) 2 एससीसी 1760**, **यूपीएस आरटीसी बनाम त्रिलोकचंद्रा (1996) 4 एससीसी 362** और अन्य अंग्रेजी मामले जैसे **डेविस बनाम पावेल डफिन ऐसोसिऐटेड**

कोलिरियेज लिमि.टेड [(1942) 1 आल ईआर 657 (एचएल)] और **नेंस बनाम ब्रिटिश कोलविया इलैक्ट्रिक रेल्वे कम्पनी लिमिटेड [(1951) 2 आल ईआर 448]** पैरा सं. 12 में अभिनिर्धारित किया कि-

> "गुणक विधि में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ निर्भरता या गुणक के नुकसान का पता करना और एक उपयुक्त गुणक द्वारा गुणक को पूंजीकृत करना शामिल है। गुणक की पसंद मृतक की उम्र (या उसकी उम्र) के आधार पर निर्धारित की जाती है। दावेदार (जो भी अधिक हो) और गणणा ाकरके कि स्थिर अर्थव्यवस्था में लिये उचित ब्याज दर पर निवेश किये जाने पर कौनसी पूंजी राशि वार्षिक ब्याज के माध्यम से गुणक प्राप्त करके यह सुनिश्चित करने में इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिये। अन्ततः ूपजी राशि का उपभोग भी उसी अवधि में किया जाना चाहिये। जिसके लिये निर्भरता बनी रहने की उम्मीद है।"

इस न्यायालय ने पैरा नं. 16 में निम्नानुसार अवलोकन किया

> "सुसम्मा थामस मामले में यह नोट किया गया था कि ब्याज की सामान्य दर लगभग 10 प्रतिशत थी और तदानुसार गुणक पर काम किया गया था। चूंकि ब्याज दर गिरावट पर है, इसलिये गुणक को परिणामस्वरूप बढाना होगा। इसलिये 16 के बजाय गुणक 18 में से जैसा कि त्रिलोक चंद्रा मामले में अपनाया गया था। उचित प्रतीत होता है।"

इस न्यायालय द्वारा आगे यह भी देखा गया कि

"उच्चतम गुणक 21 वर्ष से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लिये होना चाहिये। जब एक सामान्य भारतीय नागरिक स्वतंत्र रूप से कमाई करना शुरू करता है और सबसे कम गुणक 60 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के संबध में होगा- जो सामान्य सेवानिवृति की आयु है।"

निर्णय के पैरा 17 में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उचित गुणक 12 होगा न कि 16 ऐसे व्यक्तियों के मामले में जहां मृतक 38 वर्ष का था और दावा याचिका की तारीख से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया गया था। इसलिये न्यायालय ने गुणक को 16 से घटाकर 12 कर दिया और ब्याजदर को भी घटाकर 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया। ऐसा लगता है कि उस निषकर्ष के आधार पर उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में गुणक को कम कर दिया है।

7. इस मामले में उपरोक्त सिद्वांतों को ध्यान में रखते हुऐ हमें कहना होगा कि उच्च न्यायालय ने गुणक को 12 तक कम करके निश्चित रूप से गलती की है। यह देखा जाना चाहिये कि इस मामले में मृतक 35 वर्ष का था, दावेदार उनकी पत्नी और चार नाबालिंग बेटियां है। दूसरी अनुसूची के अनुसार भी 35 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के मामले में गुणक 16 है। वर्तमान मामले में 2004 में प्रचलित सामान्य ब्याज दर पर विचार करते हुऐ दी गई ब्याज दर केवल 6 प्रतिशत है। इसलिये हमारी राय में उचित गुणक 14 होगा, क्योंकि अनुमानित आय का मूल्य बढा दिया गया है। ऐसा किसी को भी नहीं पता था कि मृतक बिलकुल भी काम नहीं कर रहा था। उनकी पत्नी ने गवाह बॉक्स प्रवेश किया हैऔर दावा किया है कि उन्होने रूपये कमाये है। 140/- रूपये प्रतिदिन भत्ते ही हम अतिश्योक्ति को नजर अंदाज करदे, उच्च न्यायालय द्वारा 100/- रूपये प्रतिदिन 3000/- प्रतिमाह का जो आंकडा निकाला गया है वह सही

प्रतीत होता है। हांलाकि यह मानते हुऐ कि दावेदार को केवल 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हमने 12 के बजाय 14 का गुणांक देने का विकल्प चुना। तदानुसार लागू की गई अनुमानित आय 24000/- गुणक 14 बराबर 3,36,000/- रूपये होगी और इसके लिये अन्य मुआवजे में जोडा जावेगा। जैसे कि अन्तिम संस्कार व्यय के रूप में 2000/- विधवा को कंसोर्टियम के अनुसार 5000/- रूपये और सम्पत्ती के नुकसान के लिये 2000/- रूपये इसलिये दावेदार 3,45,000/- रूपये की राशि के हकदार होगें। उक्त राशि पर दावा याचिका की तारीख से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुऐ अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संदर्भ में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश कुमार सांवरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।